पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईटः www.shekhauni.ac.in ई-मेलः registrar@shekhauni.ac.in

प्रबंध बोर्ड की 29वीं बैठक 30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

प्रबंध बोर्ड की 29वीं बैठक दिनांक 30.04.2026 को विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 12:15 बजे आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार राय	कुलगुरु	अध्यक्ष
2.	मुकेश कुमार शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान।	सदस्य (ऑनलाईन)
3.	विक्रम सिंह जाखल	माननीय विधायक, नवलगढ।	सदस्य
4.	विक्रम सिंह, प्रतिनिधि, वित्त विभाग	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	डॉ. अरविन्द पारीक	शिक्षाविद् (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (ऑनलाईन)
6.	डॉ. रिछपाल सिंह	शिक्षाविद् (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
7.	डॉ. मंजू लाड़ला	संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
8.	डॉ. मनोज	संकायाध्यक्ष, शिक्षा	सदस्य
9.	श्वेता यादव	कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व कुलगुरु महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (एजेण्डा) पर निम्नानुसार निर्णय किये गयेः–

एजेण्डा संख्या 1: प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 14.06.2024 के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 2: प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 17.03.2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 3: प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 17.03.2025 के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 4: प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 23.03.2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 5: प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 23.03.2026 के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 6: प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 30.03.2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 7: प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 30.03.2026 के कार्यवृत्त के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 8: विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक खेल/2025–26/05 दिनांक 10.09.2025 द्वारा सत्र 2025–26 के लिए अंतर महाविद्यालय एवं अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु गठित खेल बोर्ड का अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक खेल/2025–26/05 दिनांक 10.09.2025 द्वारा सत्र 2025–26 के लिए अंतर महाविद्यालय एवं अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु गठित खेल बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 9: विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक खेल/2025–26/2121 दिनांक 03.09.2025 द्वारा डॉ. राजेश कुमार ढ़ाका, शारीरिक शिक्षक, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़, को सत्र 2025–26 के लिए विश्वविद्यालय खेल सचिव नियुक्ति का अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक खेल/2025–26/2121 दिनांक 03.09.2025 द्वारा डॉ. राजेश कुमार ढ़ाका, शारीरिक शिक्षक, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़, को सत्र 2025–26 के लिए विश्वविद्यालय खेल सचिव नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 10: विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक Sports/2025-26/423 दिनांक 21.11.2025 द्वारा विश्वविद्यालय खेल कलेण्डर 2025–26 में **तैराकी** एवं **गतका** नये खेल जोड़ने का अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक Sports/2025-26/423 दिनांक 21.11.2025 द्वारा विश्वविद्यालय खेल कलेण्डर 2025–26 में **तैराकी** एवं **गतका** नये खेल जोड़ने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 11: दिनांक 20.09.2025 को आयोजित विश्वविद्यालय खेल बोर्ड (सत्र 2025–26) की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णयः दिनांक 20.09.2025 को आयोजित विश्वविद्यालय खेल बोर्ड (सत्र 2025–26) की बैठक के कार्यवृत्त का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 12: खेल बोर्ड (सत्र 2026–27) के अध्यक्ष एवं सचिव के मनोनयन पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः समिति के पुनः गठन पर विचार करते हुए प्रबंध बोर्ड के सदस्य के तौर पर डॉ. मनोज, डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत तथा श्री धुड़ाराम को नियुक्त किया जावे। इनके अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला खेल अधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय खेल सचिव समस्त सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् खेल समिति के द्वारा निर्धारित किया जावे। विशेष आमंत्रित सदस्यों को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कुलगुरु महोदय द्वारा नामित किया जा सकता है।

एजेण्डा संख्या 13: विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रिसर्च बोर्ड की बैठक दिनांक 22.04.2026 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रिसर्च बोर्ड की बैठक दिनांक 22.04.2026 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 14: विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों के कार्य विभाजन का अनुमोदन।

निर्णयः– विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त अधिकारियों का कार्य विभाजन आवश्यकता के अनुरूप यह आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था है।

एजेण्डा संख्या 15: विश्वविद्यालय अधिसूचना पत्र क्रमांक 30464 दिनांक 01.12.2025 की पालना में विश्वविद्यालय के सभी दस्तावेजों, वेबसाईट, लेटर हैड, प्रमाण पत्र इत्यादि पर इंडिया के स्थान पर देवनागरी में **"भारत"** लिखने तथा अंग्रेजी में भारत को रोमन में **BHARAT** लिखने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णयः विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 के निर्णयानुसार ही प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 16: विश्वविद्यालय में **"भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्र"** स्थापित करने पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णयः विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 के निर्णयानुसार ही प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्या 17: दिनांक 24.04.2026 को आयोजित विद्या परिषद की 23वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः (i) विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 के एजेण्डा संख्या 11 के क्रम में E-Book Library के संबंध में राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्रतिनिधि की एक समिति का गठन कर इसके शुल्क व अन्य बिन्दुओं पर पुनर्विचार/समीक्षा की जाये।

(ii) विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 के टेबल एजेण्डा संख्या 2 के क्रम में अकादमिक परिषद राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत विश्वविद्यालय के नियमित सहायक आचार्यों के लिए 20 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के लिए सहमति प्रदान की गई।

विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 24.04.2026 उपर्युक्त के अतिरिक्त शेष कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में वर्तमान में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से नामित सदस्य मनोनीत नहीं है। अतः नये सदस्यों के मनोनीत होने के पश्चात् आगामी बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का निर्णय किया गया।

एजेण्डा संख्या 18: दिनांक 25.04.2026 को आयोजित हुई वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः दिनांक 25.04.2026 को आयोजित हुई वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया कि लेखानुदान अनुमोदित करवाकर विश्वविद्यालय के दैनिक/रोजमर्रा के कार्यों हेतु ही आवश्यक व्यय किया जावे। अन्य किसी प्रकार के व्यय हेतु सम्पूर्ण बजट विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड में लोकभवन, जयपुर एवं राज्य सरकार से मनोनीत प्रतिनिधियों के पश्चात् आगामी प्रबंध बोर्ड की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

एजेण्डा संख्या–19:– अन्य बिन्दु/टेबल एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति अनुसार।

टेबल एजेण्डा संख्या 1: विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड के सदस्य डॉ. अरविन्द पारीक द्वारा विश्वविद्यालय रोस्टर के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः कुलगुरु महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक एवं शैक्षणिक वर्ग हेतु रोस्टर रजिस्टर पंजिका उच्च शिक्षा ग्रुप–4 विभाग राजस्थान को कई बार प्रेषित की जा चुकी है। श्रीमान संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान द्वारा SOP निर्धारित कर, दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्तारण करने का निर्णय किया गया।

कुलसचिव